ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor = 8.35, January-June 2026, Submitted in April 2026

विकसित भारत का आधार त्रिभाषा सूत्र : भारतीय राज्यों में त्रिभाषा नीति के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन

धनंजय दुबे, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ईमेल - dhananjaydubey945@gmail.com
प्रो. ममता मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, उदित नारायण पी.जी. कॉलेज, पड़रौना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

सारांश

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय संसद द्वारा केन्द्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) में शिक्षा मंत्रालय को 1,28,650 करोड़ की राशि आंवटित की गई। जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक रही। जिसमें से विद्यालयी शिक्षा हेतु 78,572 करोड़ तथा उच्च शिक्षा हेतु 50,078 करोड़ की राशि प्रदान की गई। किंतु यह आवंटन अभी भी अपने लक्ष्य (कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत) से पीछे है। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने वर्तमान शिक्षा नीति हेतु परिवर्तन एवं संशोधन की एक लम्बी यात्रा तय की है। जिसमें 1968, 1986, 2020 की शिक्षा नीतियों ने प्रमुखतः निर्धारक की भूमिका का निर्वहन किया है। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 को के. कस्तूरीरंगन जी (पूर्व अध्यक्ष इसरो) की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। जिसका प्रमुख नारा शिक्षित करना, प्रोत्साहित करना, प्रबुद्ध करना है। इस नीति के प्रमुख केन्द्रीय बिंदुओं में से एक त्रि-भाषा सूत्र है जो क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा + अंग्रेजी + एक अन्य भारतीय भाषा का समन्वय कर शैक्षणिक माध्यम तथा विद्यार्थियों द्वारा अर्जित शिक्षा के परिणामों को प्राप्त कौशल से सुनिश्चित करेगा। इस सूत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान तथा कौशल के अर्जन में भाषा संबंधी बाधा को दूर करना है। अर्थात विद्यार्थी अगर अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो यह सूत्र अथवा नीति इसके लिये उसे पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान करती है। चूंकि शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है अतः केन्द्र के सुझाव के बाद भी हर राज्य अपनी भाषा नीति को अलग-अलग तरीके से चुन सकता है। उपर्युक्त त्रिभाषा सूत्र के लागू होने के पश्चात भी विभिन्न राज्यों ने इसे अपने राज्य की संस्कृति, भाषायी जनसंख्या को आधार बनाकर स्वयं की सुविधानुसार इस सूत्र का अनुपालन किया है। अतः इस शोध पत्र का प्रयास त्रिभाषा सूत्र के लागू होने में आ रही बाधाओं तथा लागू होने के बाद के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न राज्यों के विशेष संदर्भ में करना है और सुझावों को प्रदान करना है जिसके माध्यम से इन समस्याओं को समय रहते दूर किया जा सके।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, त्रिभाषा सूत्र कौशल आधारित शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, विकसित भारत।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जैसा कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने प्रसिद्ध पक्तिं 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल' में यह बताने का प्रयास किया है कि मातृभाषा का ज्ञान और विकास ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास की कुंजी है। भारतीय भाषा में शिक्षा पद्धति को लेकर औपनिवेशिक भारत में भी प्राच्यवाद बनाम अंग्रेजीवाद विवाद सामने आया था जिसमें प्राच्यवादी लोगों द्वारा भारतीय भाषाओं हिंदी संस्कृत, फारसी आधारित ज्ञान के पारम्परिक आधार को बनाये रखते हुये भारतीय संस्कृति और सभ्यता आधारित शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। दूसरी ओर अंग्रेजीवादियों द्वारा भारत के आधुनिकीकरण और भारतीयों को सभ्य बनाने के नाम पर अधोमुखी निष्पन्दन सिद्धांत का उपयोग करते हुये ब्रिटेन के प्रति वफादार कुशल प्रशासनिक वर्ग तैयार करने के लिये पश्चिमी भाषा और संस्कृति को भारतीय शिक्षा में शामिल करवाने की वकालत की गई। और अंततः इस बहस में अंग्रेजीवादी सफल भी हुये फलस्वरूप पूरे ब्रिटिश भारत में मैकाले मिनट के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित विभिन्न आयोगों जैसे - विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), शिक्षा आयोग (1964-66) शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986); तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की इन सभी शिक्षा नीतियों ने भारतीय शिक्षा को नई ऊर्जा, नई चेतना देने का कार्य किया है। वहीं अगर विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रीति 2020 की बात की जाये तो यह शैक्षिक परिदृश्य में एक ऐसे सुधार का प्रतीक है जोकि देश में उपस्थित भाषाई विविधता को उचित मान्यता प्रदान करता है। यह नीति विशेषतः शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान भारतीय भाषाओं और मुख्यतः मातृभाषा

और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर बल देती है। भारत, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के साथ भाषाई रूप में विविध देशों में से एक है। भारत की जनगणना (2011) [3] के अनुसार देश भर में 121 भाषायें और 1600+ बोलियां बोली जाती है। किंतु इस विविधता के बावजूद में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी या हिंदी भाषा के प्रभुत्व के कारण क्षेत्रीय या मातृभाषा उपेक्षित रही है, शिक्षा नीति 2020 मूलभूत स्तर पर भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देकर इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। इस बदलाव के पीछे का तर्क शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विचारों में दिखाई पड़ता है जो भारतीय छात्रों की बौद्धिक क्षमता, समझ, संज्ञानात्मक विकास और भावना को प्रधानता प्रदान करता है। एनईपी 2020 ठीक उस समय मुखर हुयी है जब यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा लम्बे समय से मातृभाषा पर आधारित बहुआयामी (एम टी बी - एम एल ई) की वकालत की जा रही है। जिसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य संख्या-4 के अन्तर्गत एक बाल केन्द्रित समावेशी और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है, जो सभी शिक्षार्थियों को समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करती हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और त्रि-भाषा सूत्र एक संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रीय शिक्षानीति (एनईपी) 2020 को भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक प्रतिमान परिवर्तन के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें समावेशी, लचीली और कौशल उन्मुख शिक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी सुधार पेश किये गये हैं। इस नीति के प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों में से एक है स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 मॉडल में पुर्नगठित करना जो बच्चों के संज्ञानात्मक और विकासात्मक चरणों के अनुरूप है जिसमें मूलभूत (5 वर्ष), प्रारम्भिक (3 वर्ष), मध्य (3 वर्ष) और माध्यमिक (4 वर्ष) शिक्षा शामिल है। इसके अतिरिक्त यह नीति पारम्परिक विषय सीमाओं को समाप्त करती है और अंतरविषयक उपागम को अपनाने पर बल देती है। इसके द्वारा प्रारम्भिक चरण से ही व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है और शिक्षा स्तर पर बहु विषयक शिक्षण को एकीकृत करती है। कार्यान्वयन के संदर्भ में यह प्रशिक्षण, भर्ती और सेवा शर्तों सहित व्यापक शिक्षक सुधारों पर जोर देती है जिससे सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

नई शिक्षा नीति 2020 के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में एक बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) और मातृभाषा आधारित शिक्षण (एमटीआई) पर दिया जा रहा बल है। भारतीय भाषाई विविधता को पहचानकर यह नीति स्पष्ट रूप से यह अनुशंसा करती है कि बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक अपनी मातृभाषा या अपनी स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त हो। हालाँकि पिछली शिक्षा नीतियों ने भी मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को स्वीकार्य किया था किंतु यह 2020 की नीति इस पर नई बिंदुओं को साथ जोड़कर और अधिक स्पष्ट रूप से जोर देती है और केवल एक सांस्कृतिक या वैचारिक प्राथमिकता की बजाय एक शैक्षिक पसंद और संज्ञानात्मक आवश्यकता के रूप में त्रि-भाषा सूत्र को स्थापित करती है।

विभिन्न राज्यों में बहुभाषी शिक्षण की क्रियान्वयन प्रक्रिया

बहुभाषी शिक्षा सिर्फ भारतीय शिक्षा पद्धति के लिये ही सुधार का विषय नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न वैश्विक संगठनों के द्वारा प्रमुख शैक्षणिक सुधार के रूप में मान्यता मिली है यूनेस्को की वर्ष 2003 की रिपोर्ट यह बताती है कि शुरुवाती शिक्षा यदि मातृभाषा में प्राप्त की जाये तो यह साक्षरता, गणित और कुल मिलाकर सोचने-समझने की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है। विभिन्न अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि कि जो बच्चे शुरुवाती सालों में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं उनमें समझने, समस्या समाधान क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच जैसे बुनियादी कौशल वाले गुण जल्दी विकसित होते हैं। शिक्षा जो कि समवर्ती सूर्चा के तहत भारतीय संविधान में वर्णित है अतः विभिन्न राज्यों ने इसे अपनी भाषाई जनसंख्या के अनुसार उपयोग में लाना शुरु किया है इस संदर्भ में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट रूप से अलग-अलग कर अध्ययन किया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश के राज्य एक हिंदी भाषी राज्य है और यहां की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को उपयोग में लाया जाता था। किंतु नवीन शिक्षा पद्धति 2020 के माध्यम से तीसरी भाषा के रूप में छात्र (संस्कृत, उर्दू, बंगाली, मराठी आदि) या किसी विदेशी भाषा को चयनित कर सकते

हैं। जिससे लचीलापन सुनिश्चित होता है। वर्ष 2025 में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 हेतु यूपीबोर्ड इसे कक्षा-9 और 10 के लिये चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में में कुल 1.04 करोड़ से अधिक छात्र कक्षा 12 तक नामांकित हैं जिनमें से 54 लाख से अधिक छात्र उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिये पंजीकृत हैं और इनमें से 27,40,151 हाई स्कूल और 26,98,446 इंटरमीडिएट स्तर के हैं। उत्तर प्रदेश एक घनी आबादी वाला राज्य है जिसने एनईपी से लागू करने में हेतु टास्क फोर्स का गठन कर सकारात्मक कदम उठाये हैं। हालांकि नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से लागू करने हेतु अभी भी राज्य को महलपूर्ण प्रगति की आवश्यकता है जिसके लिये एससीआरटी और एनसीआरटी के बीच तालमेल के साथ-साथ विभिन्न शिक्षा विभागों (जिनमें बुनियादी माध्यामिक उच्च तकनीकि और व्यवसायिक शिक्षा शामिल हैं) के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

कर्नाटक द्वारा संतुलित दृष्टिकोण का हवाला देकर मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया जा रहा है जबकि नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से हिंदी को शामिल करने का विरोध वहां की काँग्रेस सरकार कर रही है। जबकि अल्पसंख्यक भाषा वाले विद्यालयों में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है। कर्नाटक में हिंदी विरोध का कारण उच्च विफलता दर और गैर-हिंदी भाषी लोगों पर थोपा जाता बताया गया है। दूसरी ओर राज्य शिक्षा नीति की अंतिम रिपोर्ट में भी त्रि-भाषा सूत्र को छोड़ने की बात कही गई तथा एक और बिंदु 5+3+3+4 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाया गया था इसके स्थान पर कर्नाटक द्वारा 2+8+4 फार्मूले का अनुसरण करना तय किया गया है।

त्रि-भाषा सूत्र का मूल्यांकन

हाल ही में हुये विभिन्न अध्ययनों में यह पता चला है कि जिन छात्रों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की उनमें साक्षरता के साथ-साथ अंकगणितीय और आलोचनात्मक क्षमता जैसे कौशल अधिक विकसित हुये है जो जीवन पर्यन्त सीखते रहने के लिये एक मजबूत आधार स्तम्भ का कार्य करते हैं। कोठारी आयोग (1968) और एनईपी 2020 दोनों ही भाषाई विविधता के महत्व को स्वीकार्य करते हैं किंतु उनके दृष्टिकोण, लचीलेपन और क्रियान्वयन में काफी भिन्नता है। त्रि-भाषा सूत्र ने एक ओर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाई हितों में संतुलन और सामान्जस्यता लाने का प्रयास तो किया है किंतु कठोर संरचना के कारण राज्यों में इसको आसानी अपनाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

त्रिभाषा सूत्र का सामाजिक लाभ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बहुभाषी नीति का बृहद लाभ यह है कि यह शैक्षणिक लाभ से ऊपर सामाजिक न्याय के साधन के रूप में स्वयं को परिभाषित करती है। बहुभाषी शिक्षा सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच स्वीकृति और समझ विकसित करने में भूमिका निर्माण करती है। बहुभाषी शिक्षा का प्रभाव कक्षाओं की सीमाओं से परे सामुदायिक वातावरण में संबंधों के निर्माण तक फैला हुआ है विद्यालय, बहुसांस्कृतिक केन्द्रों के जगत के बीच कार्य करते हुये बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से संबन्ध बनाते है जिससे सामुदायिक संबन्ध और सद्भाव मजबूत होता है।

त्रिभाषा सूत्र के लागू होने में चुनौतियाँ

1. **बहुभाषी शिक्षकों की कमी :** इस चुनौती से निपटने के लिये भारत सरकार को अपने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुर्नजीवित करना होगा ताकि उनमें द्विभाषी और बहुभाषी शिक्षण पद्धति में पढ़ाने का कौशल विकसित हो सके।
2. **ग्रामीण और सार्वजनिक विद्यालयों में संसाधन संबंधी बाधायें :** इस समस्या के समाधान हेतु पाठ्यपुस्तकों, डिजिटल प्लेटफार्मों और अतिरिक्त पठन सामग्री जैसे संसाधनों को सुगमतापूर्वक सीखने के लिये कई भाषा में उपलब्ध करवाया जाना चाहिये इसके लिये सरकार को कई भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकों, ऑडियोबुक और इंटरेक्टिव सामग्री विकसित करने पर ध्यान देना चाहिये। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के आम बोलचाल वाले शब्दों को संग्रहित कर शब्दकोश जारी किया गया है।

3. **बहुभाषी शिक्षा के प्रति सामाजिक-सांस्कृतिक विरोध :** समस्या समाधान हेतु सरकारों और शिक्षाविदों को सबसे पहले माता-पिता और समुदायों को बहुभाषी शिक्षा के संज्ञानात्मक और शैक्षणिक लाभों के बारे में शिक्षित करना होगा। मीडिया अभियान, अभिभावक-शिक्षक कार्यशालायें और सामुदायिक संवाद इस बात पर जोर दें कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से अंग्रेजी भाषा में निपुणता प्रभावित नहीं होती है बल्कि सीखने के परिणामों को मजबूत करती है।
4. **नीतिगत विरोधाभास और राजनैतिक प्रतिरोध :** राजनैतिक प्रतिरोध को दूर करने के लिये राज्यों को यह सलाह दी जाये कि वे शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के ढांचे के भीतर विकसित करें जिससे मातृभाषा, भाषाई शिक्षण एक की प्राथमिकता सुनिश्चित हो सके। अन्य उपाय के रूप में राज्य प्रतिनिधियों के साथ में एक राष्ट्रीय भाषा नीति परिषद् का गठन करना हो सकता है जिससे सहयोगात्मक निर्णय, नीतिगत सामंजस्य हो स्थापित हो सके।

निष्कर्ष : भाषा संबंधी विवाद भारतीय राजव्यवस्था के लिये नया नहीं है वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक कई बार हिंदी भाषा बनाम अन्य का विवाद सामने आ चुका है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रि-भाषा सूत्र को बिना किसी विरोध या रूकावट के सभी राज्यों में समान रूप से लागू करवाना केन्द्र के लिये अवश्य एक चुनौती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है इसलिये केन्द्र सरकार, अन्य राज्यों पर दबावपूर्ण तरीके से लागू नहीं करवा सकती है किंतु भविष्य में राष्ट्रीय प्रगति और विकास का आधार वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में नवाचार और निवेश से ही संभव हो सकता है इस कथन को राज्यों को भी स्मरण रखना चाहिये। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 समावेशी है और भविष्योन्मुख है जिसका लक्ष्य भारतीय शिक्षा पद्धति में से उत्तर औपनिवेशिक बुखार रूपी मानसिकता को दूर कर भारतीय ज्ञान और परम्परा को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय, तकनीकि के ज्ञान को भाषाई आधार के साथ जोड़ना निश्चित रूप से विकसित भारत की आधारशिला का कार्य करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्निहोत्री, आर.के. (2014), बहुभाषावाद, शिक्षा और सामंजस्य. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीलिंगवुअलिज्म, 11(3), 364-379.
2. ग्रेडोल, डी. (2010), इंग्लिश नेक्स्ट इंडिया : भारत में अंग्रेजी का भविष्य. ब्रिटिश काउंसिल।
3. यूनेस्को, (2016), अगर आप नहीं समझते, तो आप कैसे समझ सकते हैं? नीतिपत्र 24. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट।
4. अग्निहोत्री, आर.के. (2017), पहचान और बहुभाषावाद : भारत की केस स्टडी, भाषा, नीति और एशियाई संदर्भों में संस्कृति और पहचान (पृष्ठ 185-204), रूटलेज।
5. अग्रवाल, जे.सी. (2009), भारत में शिक्षा नीति, शिप्रा पब्लिकेशंस।
6. भारत सरकार, (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार।
7. भारत सरकार, (2022), भारत का भाषा एटलस, 2011, राष्ट्रीय कार्यालय जनरल एवं जनगणना आयुक्त।
8. मैकाले, टी.बी. (1835), मिनट ऑन एजुकेशन।
9. मोहन्ती, ए.के. (2006), असमानों की बहुभाषावाद और भारत में शिक्षा की दुविधायें : मातृभाषा या अन्य भाषा। बहुभाषी स्कूलों की कल्पना, (262-283)।